BIADA

प्रबंध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 20.11.18 को आयोजित परियोजना समासोधन समिति (पी.सी.सी.) बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, पटना।
2. श्री एस.पी. रॉय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।
3. श्री संजय गोयनका, बिहार इण्ड. एसोसिएशन, पटना के प्रतिनिधि।
4. श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना।
5. श्री भोगेन्द्र लाल, कार्यकारी निदेशक, बियाडा पटना एवं मुजफ्फरपुर।
6. श्री संतोष कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा एवं भागलपुर।

कार्यवाही

दिनांक 01 से 31 अक्टूबर 2018 तक भू-आवंटन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय पटना अन्तर्गत 02, दरभंगा के लिए 01, भागलपुर के लिए 02 एवं मुजफ्फरपुर के लिए 03 अर्थात् कुल 08 ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त हुए एवं गत् पी.सी.सी. की बैठक में दो आवेदनों को स्थगित रखा गया था। समिति द्वारा इन सभी आवेदनों की समीक्षा की गई जो इस प्रकार है:-

1. सर्वश्री छिन्नमस्तिका इन्टरप्राईजेज प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल:- इनके आवेदन को गत् पी.सी.सी. की बैठक(दिनांक 15.10.18) में विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा इनसे अनुभव संबंधी कागजात की मांग करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा अनुभव से संबंधित किसी प्रकार का उपयुक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका आवेदन Poultry Feed के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या 16 रकवा-30126 वर्गफीट भूमि आवंटन से संबंधित था। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 52 अंक प्राप्त हुए है, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

   निर्णयः- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

2. सर्वश्री न्यू औषधि, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डौल, मधुबनी:- इनके आवेदन को गत् पी.सी.सी. की बैठक(दिनांक 15.10.18) में विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा इनसे अनुभव

संबंधी कागजात की मांग करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा अनुभव से संबंधित Current Account Detail, Udyog Aadhar साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इनके द्वारा Mediciine उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या 72 P रकवा-10000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया था। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 63 अंक प्राप्त हुए।

निर्णयः- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल, मधुबनी में प्लॉट संख्या 72 P रकवा-10000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

3. सर्वश्री अयान इण्डस्ट्रीज, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुरः- इनके द्वारा Food Packaging Material, Like Paper Container and Cup इकाई की स्थापना हेतु प्लॉट सं0 D-54 P (Part-I), रकवा-1000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु ऑन-लाईन आवेदन समर्पित किया गया है। इकाई का प्रस्तावित उत्पाद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। 2016 की इंडस्ट्रीयल पॉलिसी लागू होने से अद्यतन कितना निवेश तथा रोजगार इस कारण वंचित हुआ, उसकी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाये।

4. सर्वश्री प्रिंस पेंट्स एंड टेक्सचर्स, औद्योगिक प्रांगण, बेला, मुजफ्फरपुरः- इनके द्वारा Water based paints(Eco Friendly, Distemper, Primer, Emulsion, Wall Texture, Wall Putti) इकाई की स्थापना हेतु प्लॉट सं0 NS-14 रकवा-3852 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु ऑन-लाईन आवेदन समर्पित किया गया है। इकाई का प्रस्तावित उत्पाद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। साथ हीं इस मामले को उपरोक्त कंडिका 3 के अनुसार, आगामी बोर्ड की बैठक में रखने का निदेश दिया गया।

5. सर्वश्री प्रिंस इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, बेला मुजफ्फरपुरः- इनके द्वारा Mustard Oil के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या N.S.-14 रकवा-3852 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु

विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 78 अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत औद्योगिक प्रांगण, मुजफ्फरपुर में प्लॉट संख्या N.S.-14 रकवा-3852 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

6. सर्वश्री रॉय हैचरीज प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर:- इनके द्वारा Poultry Feed के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या C-12 रकवा-43560 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 60 अंक प्राप्त हुए हैं।

   निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में प्लॉट संख्या C-12 रकवा-43560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

7. सर्वश्री मक्खन ट्रेडर्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवादा:- इनके द्वारा Sonepapri, Doda Barfi, Milk Cake, Pedda and other sweets products के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या E-1 रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 62 अंक प्राप्त हुए हैं।

   निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में प्लॉट संख्या E-1 रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

8. सर्वश्री सूर्यप्रभा इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा:- इनके द्वारा Bakery and Confectionery के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या P-7 (Phase-II) रकवा-7500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 67 अंक प्राप्त हुए हैं।

   निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा में प्लॉट संख्या P-7 (Phase-II) रकवा-7500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

9. सर्वश्री अंजना फूड इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल, मधुबनी:- इनके द्वारा Long Cylindrical Pellet Papad (Ready to Fry) के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या 26 P रकवा-8712

वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 50 अंक प्राप्त हुए है, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

10. सर्वश्री जीएक्वा सॉल्युशन, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर:- इनके द्वारा Containers and Boxes के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या D-13 (P) रकवा-12780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। इनके द्वारा समर्पित नेटवर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार उद्यमी का नेटवर्थ परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से कम है।

निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

11. अनुमति और लाईसेंस नीति:- उद्योग विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 4587 दिनांक 25.10.18 द्वारा बियाडा के अनुमति एवं अनुज्ञप्ति नीति पर सहमति प्रदान की गई है। इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि भूमि आवंटन हेतु जिला बिन्दुओं पर विचार किया जाता है, उन सभी बिन्दुओं पर इस नीति के तहत आवेदन देने वालों पर भी विचार किया जायेगा। मात्र इनके आवेदक के लिए न्यूनतम नेटवर्थ कुल परियोजना लागत का 10% होना आवश्यक है। साथ हीं औद्योगिक क्षेत्र पटना एवं हाजीपुर के लिए न्यूनतम अहर्त्ता 60 अंक एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 40 अंक करने पर सहमति बनी। इस प्रस्ताव को बियाडा के आगामी निदेशक पर्षद् के समक्ष उपस्थापित करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।	ह0/- उपाध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना।	ह0/- बिहार इण्ड0 एसोसिएशन, पटना के प्रतिनिधि।

ह0/- कार्यकारी निदेशक बियाडा, दरभंगा/भागलपुर।	ह0/- कार्यकारी निदेशक बियाडा, पटना/मुजफ्फरपुर।	ह0/- उप उद्योग निदेशक उद्योग निदेशालय, पटना।	ह0/- प्रबंध निदेशक बियाडा, पटना।

ज्ञापांक 6018/I.T दिनांक 05/12/18

प्रतिलिपिः – पी०सी०सी० के सभी सदस्यों/वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा, पटना/आई० टी० शाखा, बियाडा, पटना/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/18

कार्यकारी निदेशक।